Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में निदेशक, मत्स्य विभाग (आई.ए.एस.) एवं सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग को 35 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *19 जनवरी, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **प्रेमसुख विश्नोई निदेशक मत्स्य, राजस्थान (आई.ए.एस.)** एवं राकेश देव सहायक निदेशक मत्स्य विभाग, जयपुर को परिवादी से **35 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि अन्नपूर्णा तालाब, टोंक में मछली पकडने एवं परिवहन का लाईसेंस देने की एवज में **प्रेमसुख विश्नोई निदेशक मत्स्य, राजस्थान (आई.ए.एस.)** एवं राकेश देव सहायक निदेशक मत्स्य विभाग, जयपुर द्वारा **1 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश स्वामी** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये **प्रेमसुख विश्नोई** पुत्र श्री मोहन लाल विश्नोई निवासी बीकानेर हाल **निदेशक मत्स्य, राजस्थान (आई.ए.एस.)** एवं राकेश देव पुत्र श्री हीरालाल बैरवा निवासी जयपुर हाल सहायक निदेशक मत्स्य विभाग, जयपुर को परिवादी से **35 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक श्री डॉ. रवि के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**